

कार्यालय कलेक्टर जिला गुना (म.प्र.)

सार्वजनिक सूचना

फतेहपुर तालाब सिंचाई परियोजनांतर्गत तालाब के निर्माण में तहसील चाचौड़ा के ग्राम उमरियाखुर्द की अशासकीय भूमि/परिसंपत्ति डूब में आने से सूची अनुसार भूमि धारक की भूमि मध्यप्रदेश के जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय करने की कार्यवाही की जा रही है-

क्र	खातेदार का नाम	भूमि का खसरा नंबर	क्रय की जाने वाली भूमि का रकबा / भूमि पर स्थित परिसंपत्ति का विवरण	ग्राम का नाम
1	रामचरण रमेश पुत्र गेंदया , कल्याणी पुत्री गेंदया खाती निवासी उमरियाखुर्द तहसील चांचोडा	292/1	0021है.	ग्राम उमरियाखुर्द तह. चाचौडा जिला गुना
2	पदम सिंह करण सिंह सागर सिंह पुत्र हीरा लाल , अजव बाई गीता बाई , राममूर्ति नमस्ता बाई , पुत्रिया हीरा लाल हिस्सा 7/8 , ब्रजेश संजू पुत्रगण शिवलाल वृंदा बाई विरमाबाई पुत्री शिवलाल, रामकुमार बाई वेवा शिवलाल हिस्ता 1/8 जाति मीना निवासी उमरियाखुर्द तहसील चांचोडा	293/1	0.031है.	ग्राम उमरियाखुर्द तह चाचौडा जिला गुना
3	पंसूरी पुत्री गोपाल भील निवासी फतेहपुर	290	0.021है.	ग्राम उमरियाखुर्द तह चाचौडा जिला गुना
4	रमेश पुत्र गेंदा खाती निवासी उमरियाखुर्द	294/2	0.227है.	ग्राम उमरियाखुर्द तह चाचौडा जिला गुना
5	भमरी बाई रोड़ी बाई भूली बाई पुत्रियां घीसिया जाति भील	294/3	0.227है.	ग्राम फतेहपुर तह चाचौडा जिला गुना
6	सुलतान बाबू पुत्रगण अमरा भील निवासी फतेहपुर	294/4	0.527है.	ग्राम उमरियाखुर्द तह चाचौडा जिला गुना
7	नारायण पुत्र कल्ला भील निवासी उमरियाखुर्द	294/5	0.227है.	ग्राम उमरियाखुर्द तह चाचौडा
8	श्रीलाल पुत्र हजारी लोधा निवासी ग्राम उमरिया खुर्द	294/6	0.700है.	ग्राम उमरियाखुर्द तह चाचौडा जिला गुना

h

9	जगन्नाथ पुत्र छीतर चमार निवासी ग्राम उमरिया खुर्द	199/12	1.000हे.	ग्राम उमरियाखुर्द तह चाचौडा जिला गुना
10	वीरमा पुत्र हीरा निवासी ग्राम उमरिया खुर्द	199/14	0.021हे.	ग्राम उमरियाखुर्द तह चाचौडा जिला गुना

उपरोक्त क्रय की जाने वाली भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्ति संपूर्ण या उसके किसी हिस्सा भाग से किसी भी शासकीय/अशासकीय व्यक्ति, वित्तीय संस्था, बैंक सोसायटी एवं अन्य का किसी प्रकार का कोई हित स्वत्व संबंध कोई लेन-देन हो अथवा संपत्ति कही रहन, भार सम्यक, बंधक, दानमेहर में आदि हो तो यह सूचना पत्र प्रकाशन की 15 दिवस अवधि में मय प्रमाणपत्र सहित दस्तावेज मेरे कार्यालय में प्रस्तुत करे। समयावधि निकल जाने के पश्चात किसी भी प्रकार का दावा, स्वत्व या आपत्ति बंधनकारी नहीं होगी। अद्योहस्ताक्षरकर्ता इस संपत्ति का विक्रय प्रतिफल राशि अदाकर विक्रय एवं शासन पक्ष में पंजीयन करवाने के लिये स्वतंत्र होंगे।

दिनांक- 07-01-2019

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
राजस्व विभाग, जिला गुना